संख्या-200/2016/827/22-2-2016-17(202)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी जनपद-आगरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम-प्रकाश नगर नुनहाई, थाना-एत्मादौला, जनपद-आगरा का रहने वाला है। दहेज में 50 हजार रूपये व मोटर साईकिल व सोने की जंजीर की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.08.2009 को दोपहर 01:00 बजे अपनी पत्नी राजकुमारी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-05, आगरा द्वारा दिनांक 06.08.2011 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26-06-2015 तक 05 वर्ष 09 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्तो को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश पर कारागार से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। कारागार जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है । प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी जनपद-आगरा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विजय कुमार (बन्दी संख्या-16329) पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी जनपद-आगरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-200/2016/827(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-200/2016/827@22-2-2016-17(202)/2016

दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम-प्रकाश नगर नुनहाई, थाना-एत्मादौला, जनपद-आगरा का रहने वाला है। दहेज में 50 हजार रूपये व मोटर साईकिल व सोने की जंजीर की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.08.2009 को दोपहर 01:00 बजे अपनी पत्नी राजकुमारी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-05, आगरा द्वारा दिनांक 06.08.2011 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26-06-2015 तक 05 वर्ष 09 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्तो को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश पर कारागार से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। कारागार जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है । प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी विजय कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी जनपद-आगरा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्थक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।